24.3.25

पतावली पेश हुई निर्णय इकबाल से लिखवाया जाकर इकबाल न्यायालय में सुनाया उपर निर्णय की प्रति इकबाल से तहसीलदार मलसर को भिजवाई जाकर बाद तकमील पतावली नम्बर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अराई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/46	02.08.2022	136 LR Act	२५.03.2025

बउनवान

1:–तालीम पुत्र स्व0 श्री यासीन खॉ जाति मेव
2:–रफफी पुत्र स्व० श्री यासीन खां जाति मेव निवासीयान ग्राम उलाहेडी, जटियाना तहसील व जिला अलवर राज०

वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1:–राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर
2:–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, अलवर

असल प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

3:–निजरबी पत्नी यासीन खां जाति मेव निवासी ग्राम उलाहेडी, जटियाना तहसील व जिला अलवर राज०
4:–अख्तर खान पुत्र यासीन खां जाति मेव निवासी ग्राम उलाहेडी, जटियाना तहसील व जिला अलवर राज०
5:–तस्लीमा पुत्री यासीन पत्नी जैकम निवासी ठेकडा नांगल बंजीरका बगड राजपूत तहसील व जिला अलवर राज०
6:–कश्मीरा पुत्री यासीन खां पत्नी जमालुदीन जाति मेव निवासी ग्राम लबान तहसील सीकरी जिला भरतपुर राज

तरतीवी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1043 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, 1045 रकबा 0.6400 हैक्टेयर कुल खसरा 2 रकबा 0.6800 हैक्टेयर नया खाता वसंख्या 26 वाके ग्राम जटियाना तहसील व जिला अलवर राज० मे स्थित है कि जिस सालिम आराजी के खातेदार वादीगण पिता आसीना उर्फ यासीन तथा तरतीवी प्रतिवादी सं. 3 के पति व तरतीवी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

तिवादी सं. 4 ला. 6 के पिता आसीना उर्फ यासीन की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है यह कि वादीगण के पिता आसीना उर्फ यासीन चूँकि मिन वादीगण के पिता को आसीना एवं यासीन दोनो के नामो से जाना व पहचाना जाता था इसलिए उक्त राजस्व रिकार्ड में मिन वादीगण के पिता का नाम आसीना ही दर्ज किया गया है वादीगण के पिता का स्वर्गवास दिनांक 19–04–2021 को हो चुका है तथा वादीगण के पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 2392 2747 6817 एवं आयकर विभाग द्वारा जारी पैनकार्ड में वादीगण के पिता का नाम यासीन दर्ज है तथा उनके परिवार राशन कार्ड तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र (वोटर आईडी) में आसीना दर्ज किया हुआ है

अब चूंकि मिन वादीगण के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। लेकिन उक्त राजस्व रिकार्ड में मिन वादीगण के पिता का नाम आसीना तथा मिन वादीगण के आधार कार्ड में यासीन दर्ज होने के कारण मृतक खातेदार आसीना उर्फ यासीन का विरासत इंतकाल उनके वारिसान वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी सं. 3 ला. 6 के नाम दर्ज व स्वीकार नहीं हो रहा है। जबकि मिन वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण सं. 3 ला. 6 मृतक खातेदार के जायज व कानूनी वारिसान है तथा मिन बतोर वारिस काबिज जायदाद है और उक्त आराजी पर काबिज रहकर बहैसियत खातेदार काश्तकार के काबिज चले आ रहे है मौके पर कब्जा है इस प्रकार उक्त आराजी में वादीगण के पिता के नाम में त्रुटि होने के कारण वादीगण व तर. प्रतिवादीगण के नाम इंतकाल दर्ज नही हो पा रहा है जिससे वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के अधिकार जायल होते है तथा उन्हे ना पूर्ति होने वाली क्षति होती है

उक्त नाम दुरूस्त करने के लिए प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 से कई बार वादीगण ने निवेदन भी किया लेकिन उन्होने कोई दुरूस्ती नहीं की इसलिए उपरोक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है दावा हाजा के लिए बिनायदावी दिनांक 25–07–2022 को पैदा हुई जबकि प्रतिवादीगण से वादीगण द्वारा उक्त नाम की दुरुस्ती हेतु

यह है कि दावा प्रतिवादी सं.1 व 2 राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया जा रहा है प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है इसलिए उन्हे धारा 80सी पी सी का नोटिस नहीं दिया गया है। चूँकि नोटिस की मयाद 60 दिवस की होती है और उसके बाद दावा दायर किया जाता है तो वादीगण के हकूक जायल होगें तथा प्रतिवादीगण बेदखल करने की धमकी देते है इसलिए वाद पत्र बिना नोटिस दिये प्रस्तुत किया जा रहा है जिसकी इजाजत के लिए धारा–80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

तरतीवी प्रतिवादी सं. 3 लगा. 6 आज हाजिर अदालत होने में असमर्थ है इसलिए उन्हे तरतीवी प्रतिवादीगण बनाया गया है।

यह है कि आराजी मुतनाजा वाके ग्रांम जटियाना तहसील व जिला अलवर में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित है। जिससे वाद न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

अतः दावा/प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर हाल 1043 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, 1045 रकबा 0.6400 हैक्टेयर कुल खसरा 2 रकबा 0.6800 हैक्टेयर खाता संख्या नया 26 वाकें ग्राम जटियाना तहसील व अलवर राज० राजस्व रिकार्ड में जो वादीगण/प्रार्थीगण के पिता का नाम आसीना दर्ज किया गया है उसके स्थान पर मिन वादीगण/प्रार्थीगण के पिता का नाम आसीना उर्फ यासीन पुत्र मकबूल संशोधित कर राजस्व रिकार्ड कराने की कृपा की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट तहसीलदार तहसील अलवर कमॉक भू0अ0/2022/9289 दिनॉक 11–11–2022 के अनुसार राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबन्दी वाके गांव जटिया आराजी खसरा नम्बर 1043/0.04, 1045/0.64 किता 2 रकबा 0.68 आसीना पुत्र मकबूल हि. पूर्ण जाति मेव सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है मुताविक मौका पर्चा दि. 2/11/22 एवं शपथ पत्र अनुसार आसीना व यासीन दोनों एक ही व्यक्ति का नाम होना जाहिर आया है। अर्थात उक्त दोनो नाम से आसीन को जाना जाता था

मुताविक संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र रजि0 कमाक 081040049900805000006/2021 जारी दिनांक 6/6/2021 अनुसार नाम यासीन खां दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र व राशन कार्ड स 1037 में नाम आसीना पुत्र मकबुल खान दर्ज है मुताबिक संलग्न राजस्व रिकार्ड फोटो प्रति नामान्तरकरण स–300 अनुसार (साबिक खसरा न0 628 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा) जिसके हाल ख. न० 1043/0.04, 1045/0.64 है. किस्म बेचान स्वीकृत दिनाक 28/5/1982 आसीन पुत्र मकबूल जाति मेव निवासी उलाहेडी तहसील व जिला अलवर खातेदार स्वीकृत हुआ जिसका अमल चौसाला जमाबन्दी में भी आसीना पुत्र मकबूल जाति मेव सा देह खातेदार में हुआ है जो आदिनांक तक हाल राजस्ब रिकार्ड मे बदस्तूर चला आ रहा है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। भू0 अभिलेख अधिकारी भूमि की प्रकृति को नहीं बदल सकता लेकिन अगर भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है तो उसको दुरूष्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूष्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न प्रा0 पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

वाके ग्राम जटियाणा तहसील अलवर के नामान्तरकरण स—300 अनुसार साबिक खसरा न0 628 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा का बेचान किशनलाल पुत्र रामधन जाति माली निवासी सा0 देह खातेदार द्वारा जर्ये रजिर्स्टड बयमाना जिल्द स0 351 पुस्तक स0 1 पृष्ठ स0 351—362 से वर्ष अप्रेल/1982 मे आसीना पुत्र मकबूल जाति मेव सा0 उलाहेडी तहसील अलवर को किया गया था जिसके हाल ख. न० 1043/0.04, 1045/0.64 है. किस्म बेचान स्वीकृत दिनाक 28/5/1982 आसीना पुत्र मकबूल जाति मेव निवासी उलाहेडी तहसील व जिला अलवर खातेदार स्वीकृत हुआ जिसका अमल चौसाला जमाबन्दी में भी आसीना पुत्र मकबूल जाति मेव सा देह खातेदार में हुआ है जो आदिनांक तक हाल राजस्व रिकार्ड मे बदस्तूर चला आ रहा है

उक्त आधार पर प्रार्थना पत्र आराजी का विक्रय पत्र अनुसार अंकन सही एंव सत्य है किसी भी प्रकार की त्रृटि राजस्व अभिलेख मे होना जाहिर नही पाया गया है नाही बन्दोबस्त के दौरान का मामला बनना पाया जाता है

जिससे प्रकरण राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत नही आने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है प्रार्थी किसी भी न्यायालय मे सम्बंधित धाराओ के अन्तर्गत वाद दायर कर रिलिफ पाने के लिये स्वतन्त्र है।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 24-3-25 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर